FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0225 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 03/09/2025 15:37 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 29/08/2025 Date To (दिनांक तक): 01/09/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 14:00 बजे Time To (समय तक): 18:05 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/09/2025 Time (समय): 11:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 03/09/2025 15:37:45 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 110 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): TEHASIL KARALAYA KE SAMANE AAROPI KA NIJEE KARALAYA, RIYANBARI,NAGAUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): KAMALESH

(b) Father's Name (पिता का नाम): PUSARAM MEGHWAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 2002 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHANERIYA LEEL, RIYANBARI, MERTA CITY, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHANERIYA LEEL, RIYANBARI, MERTA CITY, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURESH KUMAR MEGHAWAL		पिता:NIMBHARAM MEGHWAL	1. JADAU KALN,RIYANBARI,PADU KALAN,NAGAUR,RAJASTHAN,I

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		9,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 9,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर (राज.) विषय - सुरेश मेघवाल पटवारी पटवार मण्डल भँवाल को रिश्वत लेते हुऐ को रंगे हाथ पकड़वाने बाबत। महोदया, निवेदन है कि मै कमलेश पुत्र पुसाराम उम्र 23 वर्ष निवासी धनेरिया लील तहसिल रियांबड़ी जिला नागौर का रहना वाला मेरी जमीन का आपसी सहमती बंटवाड़ा हेतु मेने तहसिल कार्यालय में आवेदन किया था जिसमें पटवारी द्वारा मेरी जमीन की तरमीम कर ऑनलाइन करना था जिसके सबध में मैं कई बार पटवारी से मिला तो पटवारी ने मेरी जमीन का आपसी सहमती से बंटवारे की तरमीम हेतू मेरे से (दस हजार) 10000 रूपये रिश्वत की मांग की, रूपये नहीं देने पर मुझे कहा तूमहारे खेत की तरमीम नहीं करूंगा मुझे आगे भी रूपये देने पड़ते है। मे मेरे वाजिब काम के बदले पटवारी सूरेश मेघवाल को रिश्वत देना नहीं चाहता हूं रिश्वत लेते हुऐ को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हुं मेरा पटवारी से कोई उदार लेन-देन नहीं है तथा ना ही कोई रंजीस है। कानूनी कार्यवाही करे। दिनाक 29.08.2025 प्रार्थी एसडी कमलेश, कमलेश पूत्र पुसाराम निवासी धनेरिया लील तह. रियांबड़ी नागौर मो.

ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। एसडी कल्पना सोलंकी 29.08.2025 कार्यवाही पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर निवेदन है कि दिनांक 11.08.2025 को वक्त 07.59 पी.एम. पर परिवादी श्री कमलेश ने मोबाईल नम्बर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर अवगत करवाया कि मैं गांव धनेरिया लील से कमलेश मेघवाल बोल रहा हूं। मेरे आपसी सहमति से बंटवाड़े के खेत की तरमीम हेतु हल्का पटवारी भंवाल श्री सुरेश मेघवाल रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं उक्त भ्रष्ट पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार करवाना चाहता हूं। जिस पर परिवादी को एसीबी की कार्यप्रणाली समझाकर अग्रिम कार्यवाही करने का आश्वासन देकर हिदायत मुनासिब कर मिलने बाबत पूछा तो परिवादी ने बताया कि अभी मेरे घरेलू कार्य होने से नागौर आ नहीं सकता। मैं आईन्दा आपसे वापिस सम्पर्क कर लूंगा। जिस पर दिनांक 29.08.2025 को परिवादी श्री कमलेश ने मोबाईल नम्बर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर अवगत करवाया कि मैं नागौर आने में असमर्थ हूं । आज पटवारी मेरे से पैसों के लेनदेन की रियांबड़ी में बात करेगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री कमलेश को रियांबड़ी में मिलने की हिदायत कर कार्यालय की अलमारी से डिजिटल टेप रिकॉर्डर निकालकर नया मैमोरी कार्ड इश्यू कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 39 को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट वाहन के चौकी नागौर से रवाना होकर कस्बा रियांबड़ी पहुंची, जहां कस्बा रियांबड़ी के बाहर परिवादी श्री कमलेश पूर्व निर्देशानुसार उपस्थित मिला। जिसने एक लिखित रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय की प्रस्तुत की कि मै कमलेश पुत्र पुसाराम उम्र 23 वर्ष निवासी धनेरिया लील तहसिल रियांबड़ी जिला नागौर का रहना वाला मेरी जमीन का आपसी सहमती बंटवाड़ा हेतु मेने तहसिल कार्यालय में आवेदन किया था जिसमें पटवारी द्वारा मेरी जमीन की तरमीम कर ऑनलाइन करना था जिसके सबध में मैं कई बार पटवारी से मिला तो पटवारी ने मेरी जमीन का आपसी सहमती से बंटवारे की तरमीम हेतू मेरे से (दस हजार) 10000 रूपये रिश्वत की मांग की, रूपये नहीं देने पर मुझे कहा तूमहारे खेत की तरमीम नहीं करूंगा मुझे आगे भी रूपये देने पड़ते है। मे मेरे वाजिब काम के बदले पटवारी सूरेश मेघवाल को रिश्वत देना नहीं चाहता हूं रिश्वत लेते हुऐ को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हुं मेरा पटवारी से कोई उदार लेन-देन नहीं है तथा ना ही कोई रंजीस है। कानूनी कार्यवाही करे तथा दरियाफ्त पर बताया कि मैं गांव धनेरिया लील का रहने वाला हूं। मैंने हमारी पैतृक जमीन के बंटवाड़े हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन कर कार्यवाही पूर्ण करवा ली है। पटवारी द्वारा सहमति बंटवारा को ऑनलाईन कर तरमीम की जानी है, जिसके लिए पटवारी रिश्वत की मांग कर रहा है तथा बिना रिश्वत दिये काम करने से इन्कार कर रहा है। परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट व दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकॉर्डर को बन्द चालू करने की विधि समझाकर आरोपी पटवारी से मिलकर अपने कार्य के संबंध में व रिश्वती लेन देन के सम्बन्ध में वार्ता करने की समझाईस कर हमराह जाब्ता श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 39 को कार्यालय हाजा का डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी के साथ कस्बा रियांबड़ी की ओर रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कस्बा रियांबड़ी में ही मुकीम रही। थोड़ी देर बाद श्री मुकेश कुमार हैड कानि. व परिवादी श्री कमलेश मेरे पास उपस्थित आये तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। परिवादी ने बताया कि यहां से हम मेरी

मोटरसाईकिल पर रवाना होकर राजकीय चिकित्सालय रियांबड़ी के पास पहुंचे, जहां पर श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर मुझे सुपुर्द किया, जिस पर मैं श्री सुरेश मेघवाल पटवारी से मिलने तहसील कार्यालय रियांबड़ी के सामने की ओर स्थित उसके निजी कार्यालय में गया जहां आरोपी सुरेश मेघवाल उपस्थित मिला। जिस पर मैंने पटवारी सुरेश मेघवाल से मेरे बंटवारे की तरमीम करने के संबंध में बातचीत की तो पटवारी ने बताया कि तुझे 10,000 रूपये देने पड़ेगे, वरना तेरा काम नहीं होगा। मैंने कुछ कम करने का निवेदन किया मगर कल ही पूरे 10,000 रूपये देने को कहा, जिस पर मैंने पैसों की व्यवस्था कर लाने का कहकर वहां से बाहर आ गया और डिजिटल टेप रिकॉर्डर श्री मुकेश कुमार जी को सुपुर्द किया। श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 ने परिवादी के उक्त कथनों की ताईद की। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता से मामला आरोपी द्वारा परिवादी से 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग का होकर पीसी एक्ट की परिधि में आना पाया गया। परिवादी को 10,000/- रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था बाबत् पूछा गया तो बताया कि मैं एक दो दिन में पैसों की व्यवस्था कर आपसे सम्पर्क कर लूंगा। जिस पर परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर उपस्थित चौकी आने की हिदायत कर रूख्सत किया जाकर श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 को आवश्यक हिदायत कर चौकी नागौर रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय परिवादी की लिखित रिपोर्ट को अपने पास सुरक्षित रखा जाकर गोपनीय राजकार्य हेतु अजमेर को रवाना हुई तथा बाद गोपनीय राजकार्य दिनांक 01.09.2025 को उपस्थित एसीबी कार्यालय नागौर आयी। वक्त 08.30 ए.एम. पर परिवादी श्री कमलेश ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि आज मेरे पास आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 रूपये की व्यवस्था हो गई। आज पटवारी को रिश्वत राशि देनी है। मैं आवश्यक घरेलू कार्य होने के कारण एसीबी चौकी नागौर आने में असमर्थ हूं। मैं आपको श्यामपुरा चौराहा, डांगावास पर उपस्थित मिल जाउंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत कर डांगावास चौराहे पर उपस्थित मिलने हेतु निर्देशित कर श्री मोहनराम हैड कानि. नम्बर 64 को दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागौर के नाम तहरीर देकर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागौर को रवाना किया गया। कुछ देर बाद श्री मोहनराम हैड कानि. नम्बर 64 मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री इन्साफ अली वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड नागौर व श्री शिम्भूदयाल सैनी सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान से परिचय किया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढाया गया व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये, जिस पर दोनों गवाहान ने सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की। ताबाद अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। वक्त 11.20 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी मय स्वतंत्र गवाहान श्री इन्साफ अली व श्री शिम्भूदयाल सैनी मय ट्रेप दल के सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह स.उ.नि., मुकेश कुमार हैड कानि0 39, मोहनराम हैड कानि0 64, नेमीचन्द कानि0 405, कानाराम कानि0 532, राजेन्द्र झूरिया कानि0 150, प्रेमाराम कानि0 218 व श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक जरीये सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह कानि. 355 व एक प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नये मैमोरी कार्ड के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी नागौर से रवाना होकर श्यामपुरा चौराहा, डांगावास पहुंचे, जहां पूर्व से पाबंद सुदा परिवादी श्री कमलेश उपस्थित मिला। सरकारी व प्राईवेट वाहनों को साईड में खड़ा कर परिवादी व गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री कमलेश से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने का कहने पर उसने अपनी जेब से भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये निकाल कर पेश किये। जिनका विवरण निम्न प्रकार है - 8MD 191695, 3TT 496859, 6KH 959519, 9KB 298434, 5CS 639505, 2FT 252648, 0CQ 954877, 8GK 889233, 4TE 164396, 7TC 746376, 0SD 560801, 7HH 606522, 1VH 116993, 3GR 496231, 9BB 987901, 9TH 466549, 4ES 198906, 3NG 387210, 8ES 326391, 2DN 067473 तत्पश्चात् प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर ट्रेप दल में शामिल श्री मोहनराम हैड कानि0 64 से सरकारी वाहन के डेस्कबोर्ड में रखा फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उपर्युक्त सभी नोटों को सरकारी वाहन की मध्य सीट पर अखबार पर रखकर प्रक्रिया अनुसार हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री कमलेश की जामा तलाशी गवाह श्री इन्साफ अली से लिवाई गई तो कोई आपतिजनक वस्तु/राशि नही मिली। श्री मोहन राम हैड कानि0 64 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 10,000/- रूपये परिवादी श्री कमलेश के पहने पायजामें की दायीं जेब में रखवाये गये। परिवादी श्री कमलेश को बताया गया कि इन नोटों को तब तक नहीं छुए जब तक आरोपी रिश्वत की मांग नहीं करें तथा उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोट अपनी जेब से निकाल कर उसे देवे तथा अपने कार्य से सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर ट्रेप दल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करें तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मिस कॉल भी करें। यह भी ध्यान रखे कि आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद कहां रखता है या छुपाता है। दोनों गवाहों को भी निर्देश दिए गये कि यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के

मध्य होने वाले रिश्वती लेन-देन व इनके बीच होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी रंगहीन रहा। गिलास के इस रंगहीन घोल में श्री मोहन राम हैड कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुंलाबी हो गया। इस प्रकार दोनों गवाहों व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का महत्व दृष्टान्त देकर समझाया गया। उक्त डिस्पोजल गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास एवं अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया है, उसे जलवाया जाकर श्री मोहन राम हैड कानि0 के हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। समस्त ट्रेप दल सदस्यों के हाथ साफ धुलवाकर आवश्यक निर्देश दिए गये तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साफ धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाए गये। परिवादी श्री कमलेश को वक्त रिश्वत लेन-देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये कार्यालय के वॉयस टेप रिकॉर्डर को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। पृथक मे फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री मोहन राम हैड कानि0 को सुपुर्द कर वापिस कार्यालय भ्र.नि. ब्यूरो, नागौर पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया। ताबाद परिवादी श्री कमलेश व श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 को परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से आरोपी से मिलकर कार्य से संबंधित वार्ता करने व रिश्वत राशि लेनदेन हेतु आगे-आगे रवाना कर उनके पिछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेपदल के सदस्यों के जरीये सरकारी व प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स व लेपटॉप-प्रिन्टर के फिगरा उपरोक्त के रवाना सुदा राजकीय चिकित्सालय रियांबड़ी के पास पहुंचे, जहां सड़क पर अलग-अलग साईड में दोनों वाहनों को खड़ा कर परिवादी को आरोपी पटवारी से मिलकर अपने कार्य मे संबंधित वार्ता करने व रिश्वती लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर आरोपी के निजी कार्यालय की ओर रवाना किया गया, उसके पिछे-पिछे श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 को रवाना किया गया। थोड़ी देर बाद परिवादी ने जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि आरोपी पटवारी अपने निजी कार्यालय में उपस्थित नहीं है, जिस पर परिवादी कमलेश को कस्बा रियांबड़ी मे बाहर मुख्य सड़क पर सरकारी वाहन के पास बुलाया गया तो परिवादी ने बताया कि सुरेश कुमार पटवारी जी अपने निजी कार्यालय में उपस्थित नहीं है, मैने जरिये फोन सम्पर्क करने का प्रयास किया तो सुरेश कुमार पटवारी जी द्वारा फोन काटा जा रहा है तथा ई-मित्र पर पता किया तो ज्ञात हुआ कि पटवारीजी हल्का क्षेत्र में गिरदावरी हेतु गये हुए है, 4-5 बजे के आसपास वापिस अपने निजी कार्यालय में आने की संभावना है। जिस पर परिवादी को श्री मुकेश कुमार हैड कानि. के साथ रवाना कर 4 बजे लगभग आरोपी के निजी कार्यालय में सम्पर्क करने हेतु आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। थोड़ी देर मुकेश कुमार हैड कानि. ने जरिये फोन अवगत कराया कि आरोपी सुरेश कुमार अब अपने निजी कार्यालय में उपस्थित आ सकता है, जिस पर मुकेश कुमार हैड कानि. को परिवादी को डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू कर आरोपी के निजी कार्यालय के बाहर इंतजार हेतु रवाना बाबत् निर्देशित किया गया। जिस पर मुकेश कुमार हैड कानि. द्वारा परिवादी को डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालू कर सुपूर्द किया जाकर आरोपी के उपस्थित आने पर जरिये मोबाईल सुचित किये जाने की हिदायत कर रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मुकेश कुमार हैड कानि. को परिवादी के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम रहकर आरोपी के आने का इंतजार करने व आरोपी के उपस्थित आने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाने बाबत् निर्देशित किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेपदल जरिये सरकारी वाहन मय चालक के कस्बा रियांबड़ी से बाहर हाईवे पर जाकर परिवादी के कॉल का इन्तजार करने लगे। थोड़ी देर बाद श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 ने जरिये मोबाईल बताया कि आरोपी पटवारी अपने निजी कार्यालय में उपस्थित आ गया है। जिस पर श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 को हिदायत दी गई कि परिवादी को टेप रिकॉर्डर चालू कर आरोपी से सम्पर्क करने हेतु आरोपी के निजी कार्यालय में रवाना करें तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व हमराह ट्रेपदल के सदस्य तहसील कार्यालय के आस-पास खड़े होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। वक्त 06.05 पी.एम. पर परिवादी श्री कमलेश ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस्ड कॉल कर रिश्वत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप दल के सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के पास तहसील कार्यालय रियांबड़ी के सामने की ओर स्थित आरोपी पटवारी के निजी कार्यालय के पास, मुख्य सड़क पर पहूंची, परिवादी से वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया, इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री कमलेश ने मुख्य सड़क के पास बाईक की तरफ जाते हुए एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही सुरेश कुमार पटवारी है, जिसने मेरे से अभी-अभी 9500/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त की है तथा पटवारी जी से निवेदन कर 500/-रूपये पेट्रोल हेतु मैने स्वयं के पास रखे है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मुकेश कुमार हैड कानि. 39 के मार्फत परिवादी श्री कमलेश द्वारा बताये गये उक्त व्यक्ति को रोका गया। परिवादी श्री कमलेश ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी-अभी मैं श्री सुरेश कुमार पटवारी जी से उनके निजी कार्यालय में मिला और मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की एवं पूर्व में सुरेश जी पटवारी जी से हुई रिश्वत वार्तानुसार मैंने इनको 10000/- रूपये रिश्वती राशि अपनी जेब मे निकालकर 500/- रूपये पेट्रोल-पानी हेतु निवेदन कर अपने पास रखते हुए

9500/- रूपये श्री सुरेश कुमार पटवारी जी को दी तो श्री सुरेश कुमार पटवारी ने रिश्वती राशि अपने दाहिनें हाथ में लेकर देखकर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रख ली, उसके बाद अपने निजी कार्यालय को लॉक कर मेरे पीछे-पीछे ही मुख्य सड़क पर आ गये। उसके बाद मैंने आपको मोबाईल पर मिस्डकॉल कर पटवारी जी द्वारा रिश्वत प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा कर दिया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मुकेश कुमार हैड कानि. द्वारा रोके गये उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए, उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो अपना नाम श्री सुरेश कुमार मेघवाल पुत्र श्री निम्बाराम मेघवाल, जाति मेघवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी जडऊ कलां, पोस्ट झींटिया तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर हाल पटवारी पटवार हल्का भंवाल, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर होना बताया। जिस पर परिवादी के बतायेनुसार मेरे निर्देश पर श्री सुरेश कुमार पटवारी का दायां व बांया हाथ कलाई के उपर से क्रमशः कानि0 श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 व श्री भगवानसिंह, कनिष्ठ सहायक से पकड़वाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी सुरेश कुमार मेघवाल से परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वती राशि के बारे में पूछने पर बताया कि कमलेश द्वारा दी गई राशि मेरी पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में है। (नोट - आरोपी कस्बा रियांबड़ी में मुख्य सड़क पर मिलने एवं आमजनों की आवाजाही अधिक होने एवं मौके पर भीड़भाड़ ज्यादा होने से आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु मय ट्रेप दल के पुलिस चौकी रियांबड़ी लेकर पहुंची। चौकी प्रभारी से वार्ता कर अग्रिम कार्यवाही चौकी भवन में बैठकर करने की अनुमति प्राप्त कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस चौकी रियांबड़ी के कक्ष में शुरू की गई।) मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री सुरेश कुमार को परिवादी श्री कमलेश से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी श्री सुरेश कुमार ने बताया कि मैने कोई रिश्वती राशि नहीं ली है, हम आपस में रिश्तेदार है मैने कमलेश को कुछ समय पूर्व कुछ राशि फोन-पे पर ट्रान्सफर की थी, जो इसके द्वारा लौटाई गई है। जिस पर परिवादी श्री कमलेश ने स्वतः ही बताया कि मैं दिनांक 29.08.2025 को मेरे पैतृक कृषि भूमि के आपसी सहमति से राजस्व बंटवाड़ा की तरमीम को लेकर श्री सुरेश कुमार पटवारीजी से मिला तो पटवारीजी द्वारा 10000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा रिश्वत राशि के अभाव में काम होना संभव नहीं बताया। जो आज दिनांक को इनके कहेनुसार 9500/- रूपये रिश्वत स्वरूप अभी-अभी इनको दिये है तथा 500/- रूपये मैने इनसे पेट्रोल हेतु जरूरत का कहकर स्वयं के पास रखे है। इन्होने रूपये अपने दाहिनें हाथ मे लेकर अपनी पहनी पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रख लिये थे। इसके बाद मैने मिस्डकॉल कर आपको ईशारा किया था। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी सुरेश कुमार मेघवाल से पुनः तसल्लीपूर्वक पूछा गया तो आरोपी सुरेश कुमार ने बताया कि मैंने कमलेश से कोई रिश्वती राशि की मांग नहीं की है, आज इसके द्वारा दी गई राशि मैने लेकर अपनी जेब में रखी है, जो अभी भी मेरे जेब में ही है। रिश्वत लेने की ताईद होने पर ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। एक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री सुरेश कुमार के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः RH-1 व RH-2 अंकित किया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री सुरेश कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः LH-1 व LH-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गवाह श्री इन्साफ अली से आरोपी श्री सुरेश कुमार की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब से 500-500 रूपये के नोट मिले, जिनको पूर्व में बनी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मे मिलान करवाया गया तो हुबहू वही नोट होना पाये गये। जिनको गवाह श्री शिम्भूदयाल से गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 19 नोट कुल 9500/- रूपये होना बताया जाकर मुताबिक फर्द पेशकशी एक 500/- रूपये का नोट कम होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री कमलेश द्वारा वक्त रिश्वत लेन-देन आरोपी से निवेदन कर पेट्रोल हेतु स्वयं के पास रखे 500/- रूपये का नोट प्रस्तुत किया, दोनो गवाहों ने उक्त सभी 500-500 के 20 नोटों के नम्बरों का मिलान पुनः पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो वही नोट हुबहू होना पाये गये। उपरोक्त आरोपी से बरामद 500-500 रूपये के 19 नोटों (9500/- रूपये) एवं परिवादी श्री कमलेश द्वारा वक्त रिश्वत लेन-देन आरोपी से निवेदन कर पेट्रोल हेतु स्वयं के पास रखे 500/- रूपये के प्रस्तुत नोट को पृथक-पृथक कागज की चिट में सिल्ड चिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि कब्जा एसीबी ली गई। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री सुरेश कुमार के पहनने हेतु दूसरी पेंट की व्यवस्था कर पहनी हुई पेंट को सम्मान पूर्वक उतरवाकर पेंट की दाहिनी जेब को उलटकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः P-1 व P-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेंट को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील चिट कर मार्क P अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी सुरेश कुमार से परिवादी श्री कमलेश के आपसी सहमति राजस्व बंटवाडा से सम्बन्धी कागजात के बारे में पूछा गया तो आरोपी श्री सुरेश कुमार ने बताया। कि कमलेश का सहमति विभाजन

हेतु प्रस्तुत आवेदन पर पटवारी की रिपोर्ट के कॉलम में मेरे द्वारा रिपोर्ट कर दी गई है, तहसील स्तर मे हस्ताक्षर होने शेष है। परिवादी कमलेश के कार्य से सम्बन्धी कागजात आरोपी सुरेश कुमार द्वारा अपने बैग मे निकालकर प्रस्तुत किये गये, जिनका अवलोकन किया जाकर प्रत्येक पृष्ठ (1-12) के पीछे सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिये गये। परिवादी को पूर्व में दिया गया डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन देन परिवादी श्री कमलेश एवं आरोपी श्री सुरेश कुमार के मध्य रूबरू हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वत लेन-देन की पुष्टि होना पाया गया। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की जायेगी। इस प्रकार आरोपी श्री सुरेश कुमार, पटवारी, पटवार हल्का भंवाल, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री कमलेश के पैतृक कृषि भूमि आपसी महमति राजस्व बंटवाड़े की तरमीम करने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 10,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर, मांग के अनुसरण में आज दिनांक 01.09.2025 को रिश्वत राशि 9500/- रूपये कस्बा। रियांबड़ी स्थित अपने निजी कार्यालय पर ग्रहण करने एवं परिवादी के निवेदन पर 500/- रूपये बतौर पेट्रोल हेतु परिवादी स्वयं के पास रखने व 9500/- रूपये रिश्वत राशि आरोपी श्री सुरेश कुमार मेघवाल के पहनी पेंट की दाहिनी की जेब से बरामद होने पर आरोपी श्री सुरेश कुमार मेघवाल पुत्र श्री निम्बाराम मेघवाल, जाति मेघवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी जड़ाऊ कलां, पुलिस थाना पादूंकलां तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर हाल पटवारी पटवार हल्का भंवाल, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने से आरोपी श्री सुरेश कुमार, पटवारी को अपने विरूद्ध गुजरे जुर्म से आगाह कर अपने संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक मे मुर्तिब की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में अब तक तैयार की गई समस्त फर्दात एवं जब्तशुदा आर्टीकल्स पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर की जिस पीतल की मोहर का प्रयोग किया गया, उक्त सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद कार्यवाही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री सुरेश कुमार मेघवाल पटवारी मय परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के जरीये सरकारी व प्राईवेट वाहन के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिंटर व जब्त सुदा माल वजह सबूत के बाद ट्रेप कार्यवाही पुलिस चौकी रियांबड़ी से रवाना होकर एसीबी चौकी नागौर पहुंच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। ताबाद डिजिटल टेपरिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज दिनांक 29.08.2025 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के तीन पैन ड्राईव पृथक-पृथक बनवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर मे मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के दो पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक शील्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा तथा एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में डालकर सभी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. पैन ड्राईव शामिल पत्रावली किया गया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज परिवादी एवं आरोपी के मध्य दिनांक 01.09.2025 को वक्त रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द व शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई। तत्पश्चात् डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के तीन पैन ड्राईव बनवाये गये। वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेपरिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर सिल्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के दो पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक सिल्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में डालकर सभी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. पैन ड्राईव शामिल पत्रावली किया गया। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही में आरोपी से बरामद रिश्वत राशि कागज की चिट में शील्ड सुदा 9500/- रुपये, परिवादी से बरामद कागज की चिट में शील्ड सुदा 500/- रूपये, सिल्ड शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2 तथा P-1, P-2, कपड़े की थैली में सिल्ड सुदा पेंट मार्क P, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो अलग-अलग कपड़े की थैलियों में सीब्ड सुदा मूल मैमोरी कार्ड एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो-दो पृथक-पृथक सील्ड सुदा पैन ड्राईव न्यायालय व आरोपी श्री सुरेश कुमार मेघवाल हेतु मालखाना प्रभारी श्री मोहनराम हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। बाद कार्यवाही परिवादी श्री कमलेश तथा स्वतंत्र गवाहान श्री इन्साफ अली व श्री शिम्भूदयाल सैनी को बाद ट्रेप कार्यवाही आवश्यक हिदायत कर क्रमशः सकूनत व जाय तैनातगी के लिए रुखसत किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही का समय-समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री सुरेश कुमार, पटवारी, पटवार हल्का भंवाल, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री कमलेश के पैतृक कृषि भूमि आपसी महमति

राजस्व बंटवाड़े की तरमीम करने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 10,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर, मांग के अनुसरण में आज दिनांक 01.09.2025 को रिश्वत राशि 9500/- रूपये कस्बा रियांबड़ी स्थित अपने निजी कार्यालय पर ग्रहण करने एवं परिवादी के निवेदन पर 500/- रूपये बतौर पेट्रोल हेतु परिवादी स्वयं के पास रखने व 9500/- रूपये रिश्वत राशि आरोपी श्री सुरेश कुमार मेघवाल के पहनी पेंट की दाहिनी की जेब से बरामद होने पर आरोपी श्री सुरेश कुमार मेघवाल पुत्र श्री निम्बाराम मेघवाल, जाति मेघवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी जड़ाऊ कलां, पुलिस थाना पादूंकलां तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर हाल पटवारी पटवार हल्का भंवाल, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में अभियोग पंजिबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीया, एसडी /- (कल्पना सोलंकी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर.......... कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेश कुमार मेघवाल पुत्र श्री निम्बाराम मेघवाल, जाति मेघवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी जड़ाऊ कलां, पुलिस थाना पादूंकलां तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर हाल पटवारी पटवार हल्का भंवाल, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कंचन भाटी,पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ईंटे, अजमेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 45 पर अंकित है।(महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1281-84 दिनांक 03-09-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस- मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3- जिला कलक्टर नागौर। 4 -अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KANCHAN BHATI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan, N...
Date: 02/09/2025 15:40:03

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)